08 / 2015
श्री सीमेन्ट / भोला वगै0
89(4)

ओ. पी. भट्ट एड. जी. ए.

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.09.2016	उभयपक्ष के वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार ने प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थी संख्या 2 लक्ष्मण पुत्र खंगारा, अप्रार्थी संख्या 22 झूमी पत्नी मल्ला, अप्रार्थी संख्या 23 मंगला पुत्र खूमा, अप्रार्थी संख्या 28 नेमा पुत्र अन्ना, अप्रार्थी संख्या 37 धन्ना पुत्र हमीरा, अप्रार्थी संख्या 53 लाखा पुत्र हमीरा, अप्रार्थी संख्या 55 धापू पत्नी सुबान व अप्रार्थी संख्या 63 जज्लू पत्नी लाडू की मृत्यु प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही हो चुकी थी। मृतक व्यक्तियों के विरूद्व प्रकरण पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जावें। वकील प्रार्थी ने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेकर प्रकरण का विधि अनुरूप निस्तारण किया जावें। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 2, 22, 23, 28, 37, 53, 55 व 63 की मृत्यु हो चुकी थी। मृत व्यक्तियों के विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद/प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अनेक न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये गये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक के जायन्दा विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुए नये सिरे से 90 दिन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम होकर संग्रह भण्डार हो। (किशोर कुमार) अपर कलक्टर, अजमेर	

Scanned by CamScanner